



2026:AHC:180223

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 31907 वर्ष 2026

मनोज कुमार श्रीवास्तव आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : वैभव मिश्रा, अनिल कुमार सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन दिनांक 07.07.2023 की आरोप-पत्र तथा दिनांक 11.08.2023 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ केस संख्या 710 वर्ष 2022, कंप्यूटर केस संख्या 938 वर्ष 2022, मुकदमा अपराध संख्या 45 वर्ष 2021, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120-बी, 409 भा.दं.सं., थाना दिलारी, (राज्य बनाम मनोज चौहान और अन्य)की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुर मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित है।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप-पत्र के साथ-साथ संज्ञान/समन आदेश एवं वर्तमान वाद की संपूर्ण कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जो 2024 10 एससीसी 690 में रिपोर्टेड है, के मामले में प्रतिपादित विधि के अनुसार धारा 420 और 406 भा.दं.सं. एक ही समय में साथ-साथ लागू नहीं हो सकती हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"38. हमारी राय में, परिवाद के साधारण पठन से उपर्युक्त उल्लिखित तत्वों में से किसी का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है। हम केवल यह कहना चाहेंगे कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि की एक गंभीर भ्रांति को दूर करने के लिए, यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भा.दं.सं. में परिभाषित तथा धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया गया है, तो उसी समय यह नहीं कहा जा सकता कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त ने धारा 415 भा.दं.सं. में परिभाषित एवं स्पष्ट किए गए तथा धारा 420 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय छल करने का अपराध भी किया है।

41. मात्र संविदा के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यासभंग एवं छल के अपराध के बीच अंतर सूक्ष्म है। छल के मामले में, अभियुक्त की प्रेरित किए जाने के समय की मंशा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण बाद के आचरण से किया जा सकता है, किंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। मात्र संविदा का उल्लंघन छल के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् उस समय जब अपराध किया गया कहा जाता है, कपटपूर्ण या बेईमान मंशा प्रदर्शित न हो। अतः यही मंशा अपराध का सार है।

43. आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए झूठा या भ्रामक प्रतिवेदन किए जाने के समय, अर्थात् प्रारंभ से ही, आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में मात्र संपत्ति के न्यस्त किए जाने का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को संपत्ति विधिपूर्वक न्यस्त की गई होती है और उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया। जबकि छल के मामले में अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्ण या बेईमानी से उसे कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि पूरे देश में पुलिस अधिकारियों को विधि में उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे छल के अपराध और आपराधिक न्यासभंग के बीच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं पृथक हैं। तथ्यों के एक ही समूह में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। भा.दं.सं. के दोनों प्रावधान (अब बी.एन.एस., 2023) ऐसे जुड़वाँ नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते।"

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस स्थापित विधिक सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, उसका खंडन करने में असमर्थ रहे।
5. चूंकि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रश्न उठाया गया है, अतः विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया एतद्वारा समाप्त की जाती है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, वाद के अभिलेख तथा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलोकन करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएँ अर्थात् धारा 420 और 406 भा.दं.सं. एक ही समय में साथ-साथ लागू नहीं हो सकती हैं और इसलिए दिनांक 11.08.2023 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में निर्णय दिनांक 23.08.2024 को पारित किया गया है और वर्तमान मामले में अपराध का संज्ञान दिनांक 20.12.2022 को लिया गया था, किंतु माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा कनिष्क सिन्हा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2025 SCC Online SC 443] के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय शीर्ष न्यायालय का निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सदैव पूर्वव्यापी प्रकृति का होगा, जब तक कि स्वयं निर्णय में विशेष रूप से यह न कहा गया हो कि निर्णय भावी रूप से प्रभावी होगा।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, केस संख्या 710 वर्ष 2022, कंप्यूटर केस संख्या 938 वर्ष 2022, मुकदमा अपराध संख्या 45 वर्ष 2021, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120-बी, 409 भा.दं.सं., थाना दिलारी, (राज्य बनाम मनोज चौहान और अन्य) जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुर मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित है, में दिनांक 11.08.2023 को पारित संज्ञान/समन आदेश निरस्त किया जाता है। मामले को संबंधित विद्वान न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि यदि आवश्यक हो, तो दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में नया आदेश पारित किया जाए।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

आशीष/

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।